<u>अतिमहत्वपूर्ण/समबयद्ध</u>

<u>संख्या-13/2017/1930/29-6-2017-104सा/09टीसी(10)</u>

प्रेषक,

डा0 अशोक चन्द्र,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) **समस्त मण्डलायुक्त,**

उत्तर प्रदेश।

(2) **समस्त जिलाधिकारी,**

उत्तर प्रदेश।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 लखनऊः दिनांक:20 सितम्बर,2017

विषय:- जनसुविधाओं का लाभ जनसामान्य को प्रदान करने हेतु दिनांक 25-09-2017 से 24-10-2017 के मध्य विभिन्न विभागों के सहयोग से अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन के पत्र संख्या-913/ पीएसएमएस /2017, दिनांक 14-09-2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश के समस्त नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में दिनांक 25-09-2017 से 24-10-2017 के मध्य अभियान चलाकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अवशेष पात्र लाभार्थियों को शत-प्रतिशत राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाने तथा उनकी आधार से सीडिंग कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों में दिनांक 25-09-2017 से 24-10-2017 के मध्य अभियान चलाकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के लाभार्थियों को राशन कार्ड प्रदान किये जाने हेतु सम्बन्धित नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के प्रत्येक वार्डो में सत्यापन के दौरान सत्यापन का कार्य सम्पादित कर रही टीमों के साथ आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के साथ किसी सार्वजनिक स्थान पर आवेदन प्राप्त करने की तिथि निर्धारित करते हुए एक माह का कार्यक्रम तैयार किया जाए। उक्त कार्यक्रम के दौरान प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का सत्यापन गठित टीम द्वारा कराया जाये तथा एक सप्ताह के अन्दर पात्रता का निर्धारण करते हुए आवेदकों को उनकी पात्रता की जानकारी दी जाये। यदि आवेदक पात्र है तो उनका राशन कार्ड निर्गत किया जाये। इस अभियान के दौरान अवशेष सभी पात्र लाभार्थियों को शत-प्रतिशत राशन कार्ड उपलब्ध कराते हुए इनकी आधार से सीडिंग सुनिश्चित करायी जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

3- जन सुविधाओं का लाभ जन सामान्य को प्रदान करने हेतु उक्त कार्ययोजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये। उचित दर दुकानों पर इस आशय की सूचना अंकित कराये जाये ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को इसके बारे में जानकारी हो सके। प्रकरण में कृत कार्यवाही की सूचना संलग्न निर्धारित प्रारूप पर आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0जवाहर भवन को ई-मेल के माध्यम से up.fncs@gmail.com पर साफ्ट कॉपी Microsoft Excel file एवं हार्ड कॉपी में प्रत्येक सोमवार को अपरान्ह 3-00 बजे तक उपलब्ध करायी जाये।

भवदीय,

(डा0 अशोक चन्द्र)
विशेष सचिव।

संख्या-13/2017/1930(1)/29-6-2017तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- आयुक्त,खाद्य एवं रसद विभाग,उ0प्र0लखनउ।
2- समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त (खाद्य) उ0प्र0।
3- समस्त जिला पूर्ति अधिकारी,उ0प्र0।
4- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(ए0पी0 त्रिपाठी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रारूप-शहरी क्षेत्र

मण्डल का नाम ----------- दिनांक---------------------------

जनपद का नाम	अभियान से पूर्व कुल प्रचलित राशन कार्डो की सं0			अभियान में नये बनाये गये पात्र कार्डो की सं0			अभियान के पश्चात कुलराशन कार्डो की सं0			अभियान के दौरान आधार सीडिंग किये गये राशन कार्डो की सं0			अभियान के पश्चात आधार सीडिंग किये गये राशन कार्डो की सं0		
	अन्त्योदय	पात्र गृहस्थी	योग	अन्त्योदय	पात्र गृहस्थी	योग	अन्त्योदय	पात्र गृहस्थी	योग	अन्त्योदय	पात्र गृहस्थी	योग	अन्त्योदय	पात्र गृहस्थी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
मण्डल का नाम															

हस्ताक्षर
संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त(खाद्य
मण्डल का नाम

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।